

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-111/ 5435

दिनांक :- 15-01-25

आदेश संख्या:- 166 /2024-25

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एन.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 एवं एफ.15(1)विल्ट/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसार में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से 27 वर्ष की गिरावट संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं शतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय Modified Assured Career Progression Scheme (एम.ए.सी.पी) पे मैट्रिक्स में लेवल एल-14 स्वीकार की जाती है।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एम. ए.सी. पी. देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रहलाद कुमार मीना	587/94	2677	14.05.1996	14.05.2023	

उपरोक्त तालिका में अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 की वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त/राजसर्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा रखाटीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन या प्रतिभूल प्रतिवेदन होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 व अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें-

1. पुनरीकृत वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय एम.ए.सी.पी. स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित एम.ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।



(सुरेश मिश्रा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
दिनांक :- 15-01-24

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-111/ 5436-41

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुगाम।


(के.सी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)